

**संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2026**

क्रमांक / 15 / स्टेनो / 2026

नर्मदापुरम, दिनांक :- 27.05.2026

मैं फिरोज अख्तर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम, नर्मदापुरम जिले में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, के मध्य उचित रूप से कार्य, वितरण एवं संपादन हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-12 एवं 13 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पूर्व आपराधिक कार्यविभाजन पत्रक वर्ष 2026 आदेश क्रमांक 02/स्टेनो/2026 नर्मदापुरम दिनांक 13.05.2026 की कंडिका क्रमांक 2 (सुश्री के.शिवानी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम) को विलोपित करता हूं एवं कंडिका क्रमांक 03 (श्रीमती दिव्या मित्तल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम) के स्तंभ क्रमांक 3 में नवीन कंडिका क्रमांक 04, 05 एवं स्तंभ क्रमांक 4 में नवीन कंडिका क्रमांक 8, 9 एवं 10 जोड़ता हूं एवं स्तंभ क्रमांक 4 की कंडिका क्रमांक 3 को विलोपित कर नवीन कंडिका क्रमांक 3 प्रतिस्थापित करता हूं। कंडिका क्रमांक 04 (श्रीमती मधुबाला सोलंकी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम) के स्तंभ क्रमांक 4 में नवीन कंडिका क्रमांक 06 एवं कंडिका क्रमांक 05 (श्री दीपक कनेरिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम) के स्तंभ क्रमांक 4 में नवीन कंडिका क्रमांक 07 जोड़ता हूं। कंडिका क्रमांक 06 (सुश्री श्रीति अतुलकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम) के स्तंभ क्रमांक 3 में नवीन कंडिका क्रमांक 02 जोड़ता हूं एवं स्तंभ क्रमांक 04 की कंडिका क्रमांक 3 एवं 4 को विलोपित कर नवीन कंडिका क्रमांक 3 एवं 4 प्रतिस्थापित करता हूं एवं स्तंभ क्रमांक 4 में नवीन कंडिका क्रमांक 6, 7, 8 एवं 9 जोड़ता हूं। आपराधिक कार्यप्रभार सूची-"अ" एवं अनुसूची "ब" में से सभी कंडिकाओं में से सुश्री के. शिवानी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम का नाम विलोपित कर आपराधिक कार्यप्रभार सूची-"अ" में से कंडिका क्रमांक 2 भी विलोपित करता हूं। जो कि माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय नर्मदापुरम के अनुमोदन उपरांत, दिनांक 02.05.2026 से आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।

| क.  | न्यायिक मजिस्ट्रेट                                                         | क्षेत्राधिकार एवं साधारण कार्यक्षेत्र                                                                                                            | कार्य, जो संबंधित न्यायालय की अधिकारिता में है, न्यायालय द्वारा उनके नाम के स्तम्भ क्र. 3 में वर्णित क्षेत्र के संबंध में किये जावेंगे।                                                                                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01. | 02.                                                                        | 03.                                                                                                                                              | 04.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 03. | श्रीमती दिव्या मित्तल<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी,<br>नर्मदापुरम | 04. मुख्यालय<br>नर्मदापुरम अंतर्गत<br>खान और खनिज<br>(विकास और<br>विनियमन) अधिनियम<br>1957 एवं भा.वन अधि.<br>म.प्र. वन उपज<br>अधिनियम से संबंधित | 03. स्तंभ क्रमांक 3 में उल्लेखित<br>आरक्षी केंद्र से उत्पन्न होने वाले समस्त<br>आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, संक्षिप्त<br>विचारणीय प्रकरण(समरी) एवं खात्मा<br>प्रतिवेदन। (महिलाओं के विरुद्ध अपराध<br>हेतु गठित विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार<br>के प्रकरणों को छोड़कर) |

|            |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                | <p>आपराधिक प्रकरण।</p> <p><b>05.</b> आरक्षी केंद्र बाबई से उत्पन्न जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन विभाग परिक्षेत्रों से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी अधिनियम से संबंधित प्रकरण (Relating to offences registered by the special tiger strike force units को छोड़कर)</p> | <p><b>08.</b> मुख्यालय नर्मदापुरम क्षेत्र अंतर्गत स्थित समस्त आरक्षी केंद्र से उत्पन्न खनन अपराध एवं भा.वन अधि.म.प्र. वन उपज अधिनियम प्रकरणों का विचारण एवं उनसे संबंधित कार्य।</p> <p><b>09.</b> आरक्षी केंद्र बाबई से उत्पन्न जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन विभाग परिक्षेत्रों से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी अधिनियम से संबंधित प्रकरण (Relating to offences registered by the special tiger strike force units को छोड़कर)।</p> <p><b>10.</b> महिला आरक्षी केंद्र नर्मदापुरम अंतर्गत उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण में धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) के कथनों का लेखबद्ध किया जाना।</p> |
| <b>04.</b> | <b>श्रीमती मधुबाला सोलंकी</b><br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>06.</b> मुख्यालय नर्मदापुरम स्थित समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्रों के महिलाओं से संबंधित अपराधों के संबंध में तथा अन्य आरक्षी केंद्र क्षेत्रों (जिसका क्षेत्राधिकार नर्मदापुरम स्थित, किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट को नहीं दिया गया है) के धारा <b>183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.)</b> के कथन लेखबद्ध करना।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>05.</b> | <b>श्री दीपक कनेरिया</b><br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी,<br>नर्मदापुरम  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>07.</b> कॉलम नम्बर 03 में उल्लेखित थाने, आरक्षी केंद्र सिटी कोतवाली नर्मदापुरम, देहात नर्मदापुरम, आबकारी वृत्त "ए" एवं "बी", आरक्षी केंद्र यातायात नर्मदापुरम एवं मुख्यालय नर्मदापुरम क्षेत्र (जिसका क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को नहीं दिया गया हो) से उद्भूत रिक्त न्यायालयों के बेम्यादी</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | वारण्टों से संबंधित प्रकरणों का निराकरण।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 06. | सुश्री श्रीति अतुलकर<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम | 02. महिला आरक्षी<br>केंद्र नर्मदापुरम एवं<br>मुख्यालय नर्मदापुरम<br>स्थित समस्त आरक्षी<br>केंद्र क्षेत्रों से उत्पन्न<br>महिलाओं के<br>विरुद्ध घटित समस्त<br>आपराधिक प्रकरण<br>(अंतर्गत धारा 294, 74,<br>75, 76, 77, 78, 63,<br>64, 65 (1), 66, 65<br>(2), 67, 68, 70(1), 70<br>(2), 71, 81, 84, 85,<br>80, 79<br>भारतीय न्याय संहिता,<br>2023) एवं घरेलू हिंसा,<br>दहेज प्रतिषेध<br>अधिनियम, धारा<br>144(3) भा.ना.सु.स. के<br>अंतर्गत समस्त<br>पत्रावली एवं अन्य<br>आपराधिक मामले जो<br>मजिस्ट्रेट द्वारा<br>विचारणीय है, तथा<br>तहसील माखननगर व<br>डोलरिया से उत्पन्न<br>भारतीय नागरिक<br>सुरक्षा संहिता 2023<br>की धारा-144, 146,<br>144-3 के समस्त<br>प्रकार के आवेदन। | 03. आरक्षी केंद्र अ0जा0क0, आरक्षी<br>केंद्र जी.आर.पी. एवं आरक्षी केंद्र डोलरिया<br>क्षेत्र अंतर्गत उत्पन्न लैंगिक अपराधों से<br>बालकों का संरक्षण अधिनियम से संबंधित<br>प्रकरण तथा अन्य आपराधिक प्रकरणों में<br>धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं.<br>प्र.सं.) के कथनों का लेखबद्ध किया<br>जाना।<br>04. स्तंभ क्रमांक 3 में उल्लेखित<br>आरक्षी केंद्र क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले<br>समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र,<br>संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी) एवं<br>खात्मा प्रतिवेदन।<br>06. वर्चुअल कोर्ट के समस्त कार्य एवं<br>प्रकरणों की सुनवाई।<br>07. माननीय उच्च न्यायालय के<br>निर्देशानुसार महिलाओं के विरुद्ध किये<br>गये अपराधों के त्वरित निराकरण हेतु<br>अधिसूचित महिला विशेष न्यायालय<br>के रूप में मुख्यालय नर्मदापुरम के सभी<br>आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले<br>महिलाओं के विरुद्ध घटित समस्त<br>अपराध, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध<br>अधिनियम का विचारण एवं उनसे विविध<br>कार्यवाही एवं संबंधित कार्य।<br>08. तहसील डोलरिया व माखननगर के<br>भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के<br>अध्याय 10 की धारा 144 (द.प्र.स 1973<br>के अध्याय 9) के अधीन आने वाले भरण<br>पोषण संबंधी प्रकरणों का निराकरण।<br>09. मुख्यालय नर्मदापुरम क्षेत्र अंतर्गत<br>स्थित समस्त आरक्षी केंद्र से महिलाओं के<br>विरुद्ध मजिस्ट्रेट ट्रायल अपराध के<br>प्रकरणों से उद्भूत बेम्यादी वारण्टों से<br>संबंधित प्रकरणों का निराकरण एवं<br>महिलाओं के विरुद्ध मजिस्ट्रेट ट्रायल |

|  |  |  |                                                                                                                                           |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | अपराध (जिसका क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को न दिया गया हो) उद्भूत रिक्त न्यायालयों के बेम्यादी वारण्टों से संबंधित प्रकरण। |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित।

27/5/24  
फिरोज अख्तर  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश

क. न्यायिक  
प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
जिला-नर्मदापुरम (म.प्र.)

**कार्यालय / न्यायालय :- मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, नर्मदापुरम (म.प्र.)**  
**पीठासीन अधिकारी-फिरोज अख्तर**

क्रमांक / ..... / पृ.क. / 2026

नर्मदापुरम, दिनांक .....05.2026

**प्रतिलिपि:-**

01. माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय नर्मदापुरम की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय एस.सी./एस.टी. एक्ट/एन.डी.पी.एस. एक्ट नर्मदापुरम की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
03. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनीमालवा/पिपरिया/सोहागपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजक नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनीमालवा/पिपरिया/सोहागपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
05. पुलिस अधीक्षक, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
06. जिला अभियोजन अधिकारी/ए.पी.पी नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनीमालवा/पिपरिया/सोहागपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. समस्त आरक्षी केंद्र प्रभारी जिला एवं तहसील की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
08. खाद्य निरीक्षक, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
09. नापतौल निरीक्षक नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. औषधि निरीक्षक नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
11. सांख्यिकी लेखक, जिला न्यायालय नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
12. जिला लोक अभियोजक अधिकारी नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
13. जिला आबकारी अधिकारी, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
14. जिला परिवहन अधिकारी, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
15. अध्यक्ष अभिभाषक संघ नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनीमालवा/पिपरिया/सोहागपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
27/5/26  
फिरोज अख्तर  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
नर्मदापुरम

**न्यायालय :- फिरोज अख्तर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला नर्मदापुरम म.प्र.**

क्रमांक / 16 / स्टेनो / 2026

नर्मदापुरम, दिनांक-27/05/2026

**॥ विविध-आदेश ॥**

मैं, फिरोज अख्तर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम, प्रदत्त प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस न्यायालय के विविध आदेश क्रमांक 03/स्टेनो/2026 नर्मदापुरम दिनांक 13.05.2026 में कंडिका क्रमांक 1 में सुश्री के. शिवानी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम के नाम को विलोपित कर श्रीमती दिव्या मित्तल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम के नाम को माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, नर्मदापुरम के अनुमोदन उपरांत, प्रतिस्थापित करता हूँ-

| क्रमांक | जिला मुख्यालय नर्मदापुरम | न्यायिक मजिस्ट्रेट                                                   |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1.      | नर्मदापुरम               | न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम<br>श्रीमती दिव्या मित्तल |

नोट-अधिकृत मजिस्ट्रेट के अवकाश या अनुपस्थिति की दशा में प्रभारी मजिस्ट्रेट आपराधिक कार्यविभाजन पत्रक वर्ष 2026 के आपराधिक कार्य प्रभार सूची "अ" अनुसार उपलब्ध घटते वरीयता क्रम में प्रस्तुत आवेदनों का सत्यापन तथा प्रमाणन का कार्य संपादित करेंगे।

(फिरोज अख्तर)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
नर्मदापुरम, म.प्र.

**प्रतिलिपि:-**

01. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित।
02. अभिभाषक संघ, सचिव/अध्यक्ष नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

**अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित।**

(फिरोज अख्तर)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश

प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
जिला-नर्मदापुरम (म.प्र.)